



एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

CIN : U40109MP2006SGC018637

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत, 482008

फोन : 0761-2661111, 2660500, फैक्स : 0761-2661696, वेबसाइट : www.mppmcl.com, ईमेल : md@mppmcl.com

क्र. मु.महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)/2084

/जबलपुर, दिनांक : 26.04.2021


आदेश

कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिकों को कोविड-19 की विषम एवं गंभीर परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार की तत्काल सुविधा मुहैया कराये जाने के दृष्टिगत "कोविड-19 संविदा पारिश्रमिक अग्रिम योजना" जारी की जाती है। उक्त योजना के तहत प्रावधान एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. पारिश्रमिक अग्रिम संबंधी यह सहायता कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रदाय की जायेगी।
2. कोविड-19 संविदा पारिश्रमिक अग्रिम योजना के तहत संविदा कार्मिक एवं उसके आश्रित परिवार के सदस्यों की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, चिकित्सक की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 02 माह का पारिश्रमिक (अधिकतम रू. 70,000/-) अग्रिम के रूप में प्रदाय किया जा सकेगा। यदि कार्मिक कोविड वाई या अस्पताल में भर्ती है एवं हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो अस्पताल द्वारा जारी पर्ची को संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जा सकेगा।
3. उपरोक्त पारिश्रमिक से तात्पर्य है, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के अनुसार प्रदाय किया जा रहा पारिश्रमिक।
4. पारिश्रमिक अग्रिम स्वीकृति का अधिकार मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को होगा।
5. आहरित पारिश्रमिक अग्रिम की वसूली संबंधित संविदा कार्मिक के पारिश्रमिक से 06 समान किशतों में की जायेगी। कार्मिक की संविदा अनुबंध अवधि 06 माह से कम होने की स्थिति में अग्रिम राशि की वसूली तदानुसार शेष संविदा अवधि के पारिश्रमिक से समान किशतों में की जायेगी।
6. कोविड-19 संविदा पारिश्रमिक अग्रिम योजना लागू होने की तिथि से आगामी 03 माह के लिए प्रभावशील होगी। 03 माह पश्चात कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए योजना अवधि को बढ़ाने के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,


मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसा.एवं प्रशा.)
एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
जबलपुर


क्र. मु.महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.)/2085

/जबलपुर, दिनांक : 26.04.2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य महाप्रबंधक (राजस्व प्रबंधन)/(वाणिज्य-1,2,3)/(आई.टी.)/(पावर मैनेजमेंट)/(क्षेत्रीय कार्यालय), एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), म.प्र. पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इंदौर।
3. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र. पावर जनरेटिंग / ट्रांसमिशन कं.लिमिटेड, जबलपुर।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (बैंक एवं अर्थ प्रबंधन), एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सालय), एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

7. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
8. अधीक्षण यंत्री (सिविल) मुख्यालय, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
9. उप महाप्रबंधक (वाहन शाखा), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
10. कार्यपालन यंत्री (सिविल संभाग-प्रथम/प्रशा.भवन), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कं.लिमिटेड, जबलपुर ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं पेंशन), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
12. निज सचिव संबंध प्रबंध संचालक, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
13. स्थानिक अभियंता, एम-13, ग्रीन पार्क मेन, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली ।
14. सुरक्षा अधिकारी (मुख्यालय), एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।



उप महाप्रबंधक (मानव संसा.एवं प्रशा.)
एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
जबलपुर